कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी. सिविल याचिका संख्या 18406/2019 उम्मेद सिंह जाटव बनाम राजस्थान राज्य व अन्य प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम स्थगनादेश दिनांक: 16.12.2019 जारी किया गया था जिसकी अनुपालना में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 20.12.2019 द्वारा श्री उम्मेद सिंह जाटव, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य (राउमावि मोहनपुरा पृथ्वीसिंह, फागी जिला जयपुर से राउमावि टूम्मठ, कुशलगढ जिला बांसवाड़ा) को माननीय न्यायालय के याचिका में पारित आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन राउमावि मोहनपुरा पृथ्वीसिंह, फागी जिला जयपुर में पूर्ववत पदस्थापित रखा गया था।

सिविल रिट पिटीशन संख्या 18406/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक: 31.01.2020 द्वारा याचिकार्थी श्री उम्मेद सिंह जाटव की याचिका को अन्तिम रूप से खारिज कर दिये जाने के फलस्वरूप विभागीय आदेश दिनांक: 29.09.2019 याचिकार्थी उम्मेद सिंह जाटव एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या–2 श्री पंकज कुमार जैन के सम्बन्ध में पुनः प्रभावी हो गया है।

अतः श्री उम्मेद सिंह जाटव, प्रधानाचार्य, राउमावि मोहनपुरा पृथ्वी सिंह, फागी जिला जयपुर को विभागीय आदेश दिनांक: 29.09.2019 की अनुपालना में तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेश की अनुपालना में अपने स्थानान्तरित स्थान राउमावि टूम्मठ, कुशलगढ जिला बांसवाडा में दिनांक: 09.02.2020 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर इस कार्यालय को अवगत करावें।

श्री पंकज कुमार जैन, प्रधानाचार्य (वर्तमान में कार्य व्यवस्थार्थ–राउमावि राम मन्दिर, जयपुर) को राउमावि, मोहनपुरा पृथ्वीसिंह, फागी जिला जयपुर में प्रधानाचार्य के पद पर पुनः पदस्थापित किया जाता है। सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेशित किया जाता है कि वे उक्त आदेश की पालना तत्काल सुनिश्चित करते हुए कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं को शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाना सुनिश्चित करें।

(सौरभ स्वामी)
आई ए एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/उम्मेद सिंह/18406/2019 दिनांक: 14.02.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/उदयपुर संभाग, जयपुर/उदयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर/बांसवाडा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर/बांसवाड़ा।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)